

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (कांगड़ा) -176213

क्रमांक:हिशिबो(22)संचालन- VCF-13/2020-2073-172 दिनांक: 15/01/2020

“अधिसूचना”

अधिसूचित किया जाता है कि बोर्ड की 115वीं बैठक दिनांक 19.11.2019 की कार्यवाही की मद संख्या:6 के अन्तर्गत बोर्ड ने प्रतियोगी व पात्रता परीक्षाओं के संचालन के लिए निर्धारित मापदण्ड के समरूप ही केन्द्र अधीक्षक के साथ एक उप अधीक्षक व इससे अधिक संख्या पर एकल सहायक अधीक्षक के साथ ही प्रत्येक 25 परीक्षार्थी संख्या पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का मापदण्ड निर्धारित करने तथा बोर्ड के परीक्षा विनियमों के अध्याय-9 के नियम 9.1.4 में निम्न प्रकार से संशोधन को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया है:-

Existing Rules	Amended Rules
9.1.4 Every affiliated institution shall provide for supervision of the examination at least one teacher for every 40 candidates or part thereof appearing at such examination from the institution concerned.	Every affiliated institution shall provide for supervision of the examination at least one teacher for every 25 candidates or part thereof appearing at such examination from the institution concerned.


सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हि.प्र. सरकार, शिमला-171002.
2. विशेष निजी सचिव/निजी सहायक, अध्यक्ष/सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
3. निदेशक, उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला को उपरोक्त निर्णय को हि०प्र० सरकार के राजपत्र तथा E-Gazette में प्रकाशित करने हेतु।
5. अति०सचिव/संयुक्त सचिव/समस्त उप तथा सहायक सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. संयुक्त नियन्त्रक, वित्त एवं लेखा/लेखा परीक्षा, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
7. अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को पैरा संख्या:हि.शि.बो- (2)/सा०/115वीं बैठक/पैरा/2019-483-508 दिनांक 9.2.2020 के संदर्भ में निर्णय की अनुपालना हेतु सूचनार्थ।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
9. अनुभाग अधिकारी, आई०टी०सैल को बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. लोक सम्पर्क अधिकारी, स्कूल शिक्षा बोर्ड।


सचिव